

फर्द अहकाम

श्रीरुरलाल बनाम उदलाद सहाय फी

न्यायालय का नाम-उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल

केस सं० 124/16

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	16/7/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण प्रतिवादीगण स्थित / अनुपस्थित पत्रावलीगत आदेशानुसार क्र०सं. 23/7/25 को पेश हो।</p> <p>वास्तु हादसा हेतु क्वॉटर दिनांक 16/7/25 का कालांतर में को क्वॉटर रूप में हादसा हरसो कालांतर हादसा स्वतः ही पेश हो जायेगा।</p>	
	23/7/25	<p>पत्रावली पेश की हादसा प्रतिवादी हेतु न्यायद्वि में क्वॉटर क्वॉटर दिनांक 23/7/25 हादसा स्वतः ही पेश हो जायेगा वास्तु हादसा प्रतिवादी हेतु 20/8/25 को पेश हो</p>	
	20/8/25	<p>पत्रावली पेश की हादसा प्रतिवादी कोषी जाती है पत्रावली वास्तु क्वॉटर हेतु दिनांक 27/8/25 को पेश हो</p>	
	27/8/25	<p>पत्रावली पेश की कोई पक्ष 0 धाजित नहीं है। अतः पत्रावली 0-9, R-3 के तहत CPC प्रावधानों के अन्तर्गत क्वॉटर पेशी क्वॉटर धाजित के कारिज फरमायी जाती है। पत्रावली प्रैक्टिस शुल्क हेतु क्वॉटर दाखिल हो दर्ज नम्बर है क्वॉटर है।</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी किशनगढ रेनवाल</p>